



Neutral Citation No. - 2026:AHC:175275

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन अंतर्गत धारा 528 बीएनएसएस संख्या - 8470 सन् 2025

मुन्ना और 4 अन्य

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : राजेश कुमार वर्मा

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, मोहम्मद वसीम

न्यायालय संख्या- 81

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्तागण ने बताया कि पक्षकारों ने न्यायालय के बाहर आपसी सहमति से अपना विवाद सुलझा लिया है और उनके बीच समझौता हो गया है, जिसे इस आवेदन के साथ दाखिल किया गया है। इससे पहले, इस न्यायालय ने पक्षकारों को समझौते की पुष्टि के लिए अवर न्यायालय में पेश होने का निर्देश दिया था। उस आदेश में अवर न्यायालय को पुष्टि रिपोर्ट भेजने का भी निर्देश दिया गया था।
3. रिपोर्ट के अनुसार, पक्षकार विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए थे, जिनकी पहचान उनके संबंधित अधिवक्तागण द्वारा की गई तथा समझौते का सत्यापन विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 25.04.2025 को किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. चूंकि पक्षकारों ने न्यायालय के बाहर आपसी सहमति से अपना विवाद सुलझा लिया है और विपक्षी संख्या 2 आवेदक के खिलाफ अभियोजन नहीं चलाना चाहता है, इसलिए इसे लंबित रखने का कोई फायदा नहीं है।

5. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और विपक्षी संख्या 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता इन तथ्यों पर कोई आपत्ति नहीं जता रहे हैं।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण और अन्य** जो (2019) 5 एससीसी 688) में रिपोर्टेड है, के प्रकरण में समझौते/सुलह के आधार पर कार्यवाही रद्द करने के सिद्धांत निर्धारित किए हैं। संबंधित प्रस्तर नीचे दिए गए हैं:-

"15. इस बिंदु पर विधि तथा इस न्यायालय के उपर्युक्त संदर्भित अन्य निर्णयों पर विचार करने के पश्चात्, यह अवलोकित एवं निर्धारित किया जाता है कि:

i) संहिता की धारा 320 के अंतर्गत गैर-शमनीय अपराधों के लिए आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने हेतु संहिता की धारा 482 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग उन मामलों में किया जा सकता है, जिनमें अपराध का स्वरूप अत्यधिक एवं मुख्यतः सिविल प्रकृति का हो, विशेष रूप से वे मामले जो वाणिज्यिक लेन-देन से उत्पन्न हुए हों अथवा वैवाहिक संबंध या पारिवारिक विवादों से उत्पन्न हुए हों तथा जब पक्षकारों ने अपने बीच संपूर्ण विवाद का समाधान कर लिया हो;

ii) ऐसी शक्ति का इस्तेमाल उन मुकदमों में नहीं किया जाना चाहिए जिनमें मानसिक विकृति वाले जघन्य और गंभीर अपराध या हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे अपराध शामिल हों। ऐसे अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते और समाज पर इनका गंभीर असर पड़ता है;

iii) इसी तरह, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष कानूनों के तहत अपराधों, या सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपनी ड्यूटी के दौरान किए गए अपराधों के प्रकरणों में ऐसी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए; ऐसे प्रकरणों को केवल पीड़ित और अपराधी के बीच समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जाना चाहिए,"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



iv) भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और शस्त्र अधिनियम आदि के अंतर्गत अपराध गंभीर और जघन्य अपराधों की श्रेणी में आते हैं। इसलिए, इन्हें सिर्फ किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि समाज के खिलाफ अपराध माना जाना चाहिए। नतीजतन, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और/या शस्त्र अधिनियम आदि के तहत अपराधों के लिए आपराधिक कार्यवाही जिनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, के संबंध में आपराधिक कार्यवाही को संहिता की धारा 482 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता कि पक्षकारों ने आपस में अपना पूरा विवाद सुलझा लिया है। हालाँकि, उच्च न्यायालय का फैसला सिर्फ इस बात पर आधारित नहीं होगा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का जिक्र है या इस प्रावधान के तहत आरोप तय किया गया है। उच्च न्यायालय यह जांच सकता है कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 307 को सिर्फ दिखावे के लिए शामिल किया गया है या अभियोजन पक्षकार ने पर्याप्त सबूत इकट्ठा किए हैं, जो साबित होने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत आरोप तय करने का आधार बन सकते हैं। इसके लिए, उच्च न्यायालय लगी चोट की प्रकृति, क्या चोट शरीर के महत्वपूर्ण/ संवेदनशील अंगों पर लगी है, इस्तेमाल किए गए हथियारों की प्रकृति वगैरह पर विचार कर सकता है। हालाँकि, उच्च न्यायालय ऐसा तभी कर सकता है जब जांच के बाद सबूत इकट्ठा कर लिए गए हों और आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका हो/आरोप निर्धारित किया जा चुका हो और/या विचारण चल रहा हो। जब प्रकरण अभी भी जांच के अधीन हो, तो ऐसा करना जायज़ नहीं है। इसलिए, नरिंदर सिंह (उपरोक्त) प्रकरण में इस न्यायालय के फैसले के प्रस्तर 29.6 और 29.7 में दिए गए अंतिम निष्कर्ष को सामंजस्यपूर्ण ढंग से और समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए, और ऊपर बताई गई परिस्थितियों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए।

v) संहिता की धारा 482 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, ऐसे गैर-शमनीय अपराधों के संबंध में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते समय, जो निजी प्रकृति के हों और जिनका समाज पर गंभीर प्रभाव न पड़ता हो, तथा पीड़ित और अपराधी के बीच हुए समझौते/सुलह के आधार पर कार्यवाही निरस्त करने की मांग की गई हो, उच्च न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि वह अभियुक्त के पूर्ववृत्त पर विचार करे;



अभियुक्त का आचरण, अर्थात् क्या अभियुक्त फरार था और वह क्यों फरार था, उसने शिकायतकर्ता के साथ समझौता कैसे किया आदि पर भी विचार करे।"

7. ऊपर बताई गई बातों को देखते हुए, चूंकि पक्षकारों ने न्यायालय के बाहर आपसी सहमति से अपना विवाद सुलझा लिया है और विचारण न्यायालय ने पक्षकारों के बीच समझौते की पुष्टि भी कर दी है, इसलिए इस आवेदन को मंजूर किया जाना चाहिए।

8. तदनुसार, यह आवेदन स्वीकार किया जाता है और मुकदमा संख्या 398 सन् 2015 (परिवर्तित मुकदमा संख्या 577 सन् 2025), (स्टेट बनाम मुन्ना और अन्य) - जो मुकदमा अपराध संख्या 23ए/2015 धारा 147, 148, 504, 506 भा.दं.सं., थाना- प्रेमनगर, जिला बरेली से उत्पन्न हुआ है और सिविल जज (एस.डी/एफ.टी.सी.), बरेली के न्यायालय में लंबित है, की संपूर्ण कार्यवाही एतद्वारा रद्द की जाती है।

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)

19 अगस्त, 2026

अकबर